1/3/21 वकील वादी उप0 / प्रतिवादी सं. 2,3 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल पारीक ने अधिकार पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 ज.सि.प्र. पेश किया जिसकी प्रतिलिपि वकील प्रतिवादी को दिलवाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र दिनांक 27/4/21 को पेश हो।

27/4/21

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन [illegible] मा. राजस्व मण्डल अजमेर [illegible] शनिवार लॉकडाउन अवधि में [illegible] स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली [illegible] 30/6/21 को पेश हो।

14/6/21 पत्रावली आज वादिगण एवं वादिगण के ~~अधिवक्ता~~ वकील द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेश हुई। वादियों व प्रतिवादीगणों के बीच आपसी राजीनामा हो चुका है। वादियगण आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53.88.188 RTA इसी पेज पर ड्रॉप की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्देश

Identified

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudha
Date: 2021.09.29 17:29:09 IST
Reason: SelfAttested